दिनांक- 21.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 406/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 21.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 21.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 407/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रमाशंकर मय हमराह कां0 रवि कुमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामील करते हुए 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रामकिशोर पुत्र चतुर्भुज, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम बछेछर कला थाना अजनर जनपद महोबा को सम्बन्धित सीपी नं0 3110/2021 एवं 286/2016 धारा 323/504 भा0द0वि0, माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा (सरकार बनाम रामकिशोर) द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकिशोर पुत्र चतुर्भुज, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम बछेछर कला थाना अजनर जनपद महोबा, सम्बन्धित सीपी नं0 3110/2021 एवं 286/2016 धारा 323/504 भा0द0वि0, माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा (सरकार बनाम रामकिशोर)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमाशंकर
2. कां0 रवि कुमार

दिनांक- 21.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 408/26

महोबा पुलिस

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी अपराध द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।

जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 21.07.2026 को क्षेत्राधिकारी श्री अजय पाल द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, प्रवेश/निकास बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, आगंतुकों की निगरानी, वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता का गहनता से जायजा लिया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक आगंतुक की समुचित जांच सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा न्यायालय परिसर में आने वाले वादकारियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

महोबा पुलिस

हत्या की घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व ₹ 10-10 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत श्री शंशाक सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप ए.एस.जे./एफ.टी.सी. महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत वादी के भाई की गला दबाकर हत्या करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 10-10 हजार /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु.अ.सं. 252/2019 धारा 302/34 भादवि से सम्बधित अभियुक्तगण क्रमशः 1. काशीराम पुत्र स्व0 मोहनलाल अनुरागी 2. विमला रानी पत्नी काशीराम अनुरागी निवासीगण मु0 सेनापत वार्ड न0 02 कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अभिमन्यु यादव द्वारा संपादित की गई। मा0 न्यायालय में लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र राजपूत द्वारा प्रभावी पैरवी तथा पैरोकार आरक्षी वीरेन्द्र कुमार के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए दण्डित कराया गया।

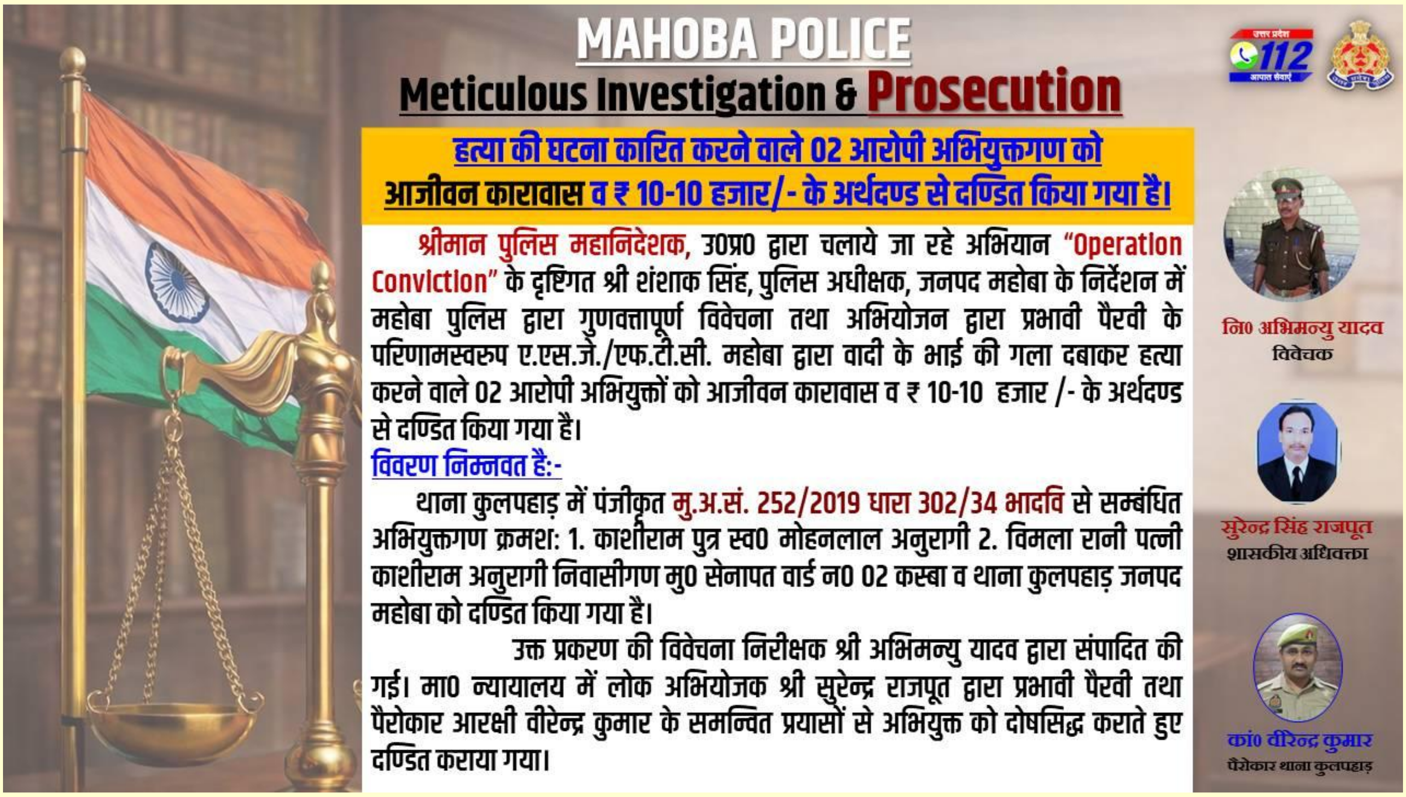

दिनांक- 21.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 410/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा प्रस्तावित पुलिस वाहन डंपिंग यार्ड स्थल का निरीक्षण, आवश्यक कार्यवाही के दिए निर्देश...।

आज दिनांक 21.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मुल्ला का खुड़ा, केंद्रीय विद्यालय रोड के समीप पुलिस विभाग की आरक्षित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि पर जनपद के विभिन्न थानों में खड़े मुकदमाती, चालानी, लावारिस एवं अन्य अभिरक्षित वाहनों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख-रखाव हेतु प्रस्तावित पुलिस वाहन डंपिंग यार्ड स्थापित किए जाने के संबंध में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने संबंधित अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डंपिंग यार्ड की स्थापना से जनपद के सभी थानों में लंबे समय से खड़े मुकदमाती, चालानी एवं लावारिस वाहनों को नियमानुसार एक स्थान पर सुरक्षित रखा जा सकेगा।

इस व्यवस्था के लागू होने से थानों में अनावश्यक रूप से घिरे स्थान का सदुपयोग हो सकेगा, परिसर अधिक सुव्यवस्थित एवं साफ-सुथरे बनेंगे तथा पुलिस कार्यों के संचालन में सुविधा और दक्षता बढ़ेगी। साथ ही वाहनों के सुरक्षित संरक्षण, अभिलेखीकरण एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही के निष्पादन में भी पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित होगी।

दिनांक- 21.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 411/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 20.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय मय टीम द्वारा दिनांक 30.06.2026 को अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/126(2)/351(3)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अनीश राजपूत उर्फ भगवान सिंह पुत्र रामपाल सिंह उम्र 25 वर्ष 2.आकाश राजपूत पुत्र रामेश्वर उम्र 26 वर्ष निवासीगण ग्राम बारातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.अनीश राजपूत उर्फ भगवान सिंह पुत्र रामपाल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बारातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2.आकाश राजपूत पुत्र रामेश्वर उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बारातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.SHO कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय

2.हे0कां0 अजय कुमार

3.रि0कां0 सुरेश सरोज